न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ. सौम्या झा,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02/2014
प्रविष्टि दिनांक 03.03.2014

रामसहाय नारेडा पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–निगरानीकर्ता

बनाम

1–रामअवतार पुत्र भूरालाल जाति मीणा निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
2–ग्राम पंचायत ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
3–मुरली वार्ड पंच ग्राम पंचायत ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
4–सोदान वार्ड पंच ग्राम पंचायत ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
5–मुन्नापुरी वार्ड पंच ग्राम पंचायत ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा दिनांक 15.01.2013 द्वारा ग्राम पंचायत ढिकोलिया

उपस्थिति : (1) श्री दोलतराम चौधरी,अभिभाषक निगरानीकर्ता

निर्णय दिनांक **28.11.2024**

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र निगरानी का सार इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत ढिकोलिया पंचायत समिति अलीगढ द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे दिनांक 15.01.2013 को आवासीय भूमि का विकय–विलेख(पट्टा) वाके ग्राम ढिकोलिया मे 3312 वर्गफीट भूमि का जारी किया है। निगरानीकर्ता ने सरपंच ग्राम पंचायत ढिकोलिया के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी प्रतिपक्षी जरिए सम्मन की गई एंव ग्राम पंचायत ढिकोलिया से पट्टे की पत्रावली तलब की गई। दिनांक 09.10.2024 को नॉन निगरानीकर्तागण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। अभिभाषक निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ढिकोलिया के सरंपच द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 के हक में जारी किया गया पट्टा विलेख दिनांक 15.01.2013 अवैधानिक एवं राजस्थान पंचायती राज

जिला कलेक्टर
टोंक

नियमों के अनुरूप जारी नहीं किया गया है। प्रतिपक्षी संख्या 1 के हक में दिंनाक 15.01.2013 को जो पट्टा जारी किया गया है, वह मोके के अनुरूप जारी नहीं किया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे की पुश्त पर जो सीमाये अंकित की है,वह मोके के अनुरूप नहीं है तथा पट्टे मे न तो भूखण्ड का माप अंकित और न ही माप का कोई पैमाना अंकित किया है। ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 के हक में कितनी वर्गफीट अथावा कितने वर्गगज का पट्टा जारी किया है,यह पट्टे मे कहीं पर भी अंकित नही किया है। पंचायत द्वारा खाली वर्गफीट का पट्टा नियमों के विपरीत जाकर जारी किया है। ग्राम पंचायत ने जिस स्थान का पट्टा जारी किया है,वह भूखण्ड मोके पर निगरानीकर्ता के कब्जे मे चला आ रहा है। ग्राम पंचायत ने बिना मौके का अवलोकन किये बिना ही पट्टा जारी किया है। निगरानीकर्ता से ग्राम पंचायत ढिकोलिया का सरंपच राजनेतिक द्वेषता रखता है और द्वेषता के कारण उसने निगरानीकर्ता के कब्जे शुदा भूमि का पट्टा प्रतिपक्षी संख्या 1 के हक मे जारी किया है,जो मोके के विपरीत है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व निगरानीकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया और न ही उसे सुनवाई, साक्ष्य, सबूत पेशा करने का अवसर दिया गया और ना ही ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई गई है। प्रतिपक्षी नं. 2 ने प्रतिपक्षी संख्या 1 से आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से यह फर्जी व जाली पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ढिकोलिया के सम्पूर्ण कोरम के दो तिहाई सदस्यों की सहमति से नियमानुसार प्रस्ताव या निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि सीधे ही सरंपच ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए मोहर लगाकर अपने हस्ताक्षर कर पट्टा बना दिया जो एक अवैधानिक दस्तावेज है। वाद ग्रस्त पट्टे में वर्णित भूमि पर निगरानीकर्ता व उसके पूर्वजों का वर्षों पूर्व से कब्ज़ा चला आ रहा है तथा मौके पर आज भी निगरानीकर्ता के स्वामित्व व आधिपत्य मे है। अतः ग्राम पंचायत ढिकोलिया द्वारा जारी पट्टा दिनांक 15.01.2023 को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

हमने विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता कि बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध पट्टे की प्रमाणित प्रति व मूल पट्टा पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत ढिकोलिया पंचायत समिति उनियारा द्वारा राजस्थान पंचायत नियम 157 (1) के तहत आवासीय भूमि का विक्रय–विलेख (पट्टा) दिनांक 15.01.2023 को ''प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013'' में जारी किया गया है, जिसका माप पूर्व–पश्चिम मे (ए) 44 फीट(बी) 16 फीट उत्तर–दक्षिण मे (ए)63 फीट(बी) 10 फीट कुल क्षेत्रफल 3312 वर्गफीट रामअवतार पुत्र भूरालाल जाति मीना निवासी ढिकोलिया के हक मे जारी किया गया है।

अभिभाषक निगरानीकर्ता का कथन है कि ग्राम पंचायत ढिकोलिया के सरंपच द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 के हक में पट्टा विलेख दिंनाक 15.01.2013 अवैधानिक तरीके से जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी सख्या 1 के हक में कितनी वर्गफीट अथावा कितने वर्गगज का पट्टा जारी किया है,यह पट्टे मे कहीं पर भी अंकित नही किया है। वाद ग्रस्त पट्टे में वर्णित भूमि पर निगरानीकर्ता व उसके पूर्वजों का वर्षों पूर्व से कब्ज़ा चला आ रहा है तथा मौके पर आज भी निगरानीकर्ता के स्वामित्व व आधिपत्य मे है। पत्रावली मे उपलब्ध पट्टे की प्रमाणित प्रति (जो निगरानीकर्ता ने निगरानी प्रस्तुत करते समय निगरानी के साथ संलग्न कि है) का अवलोकन करने से विदित होता है कि पट्टा कितनें वर्गगज/वर्गफीट का जारी किया गया है और साथ ही पट्टे का माप भी अंकित नही है। न्यायालय मे निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा

जिला कलेक्टर
टोंक

ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत ढिकोलिया से मूल पट्टा पत्रावली तलब करने पर उनके द्वारा जो पट्टा पत्रावली प्रेषित की गई है उस पट्टे का अवलोकन करने पर पट्टे की पुश्त पर पट्टे मे माप अंकित है और कुल 3312 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता को नकल जारी करने के उपरान्त पट्टे का माप व क्षेत्रफल अंकित किया गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत ढिकोलिया पंचायत समिति उनियारा द्वारा प्रेषित पट्टे व निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत पट्टा नकल मे समानता नही है। ऐसी स्थिति मे सरपंच ग्राम पंचायत ढिकोलिया पंचायत समिति अलीगढ द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत ढिकोलिया पंचायत समिति उनियारा द्वारा दिनांक 15.01.2013 को प्रतिपक्षी संख्या–1 के हक मे जारी किये गये पट्टे को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण सरपंच ग्राम पंचायत ढिकोलिया पंचायत समिति उनियारा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारो की विधिवत सुनवाई कर, दस्तावेजात व कब्जे संबंधी जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक **28.11.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)